



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 27.03.2023

1. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, पीजी व हॉस्टल से मोबाइल फोन व लैपटॉप चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 23 लैपटॉप, 13 बाडी लैपटॉप, 11 कीबोर्ड, 12 डिस्प्ले लैपटॉप, 08 चार्जर व 02 मोबाइल फोन बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 27.03.2023 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा, पीजी व हॉस्टल से मोबाइल फोन व लैपटॉप चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 04 अभियुक्त 1.सिराज पुत्र रईश अहमद निवासी खुशहाल नगर, अंजुम पैलेस के पास, थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ 2. वजाहत पुत्र फारूख निवासी कीरतपुर, थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर 3. साहब आलम पुत्र आमिर हसन निवासी कीरतपुर, थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर व 4.राहिल पुत्र मौहम्मद इस्माइल निवासी 747, आजाद नगर, रूडकी, थाना गंगनहर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड को थाना क्षेत्र के रियान गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से कुल 23 लैपटॉप (जिनमें 08 लैपटाप एचपी कम्पनी, 08 लैपटॉप डेल कम्पनी, 03 लैपटॉप लिनोवो कम्पनी, 02 लैपटॉप आसुस कम्पनी, 02 लैपटाप थिंकपैड कम्पनी), 13 बाडी लैपटॉप अलग-अलग कम्पनी, 11 कीबोर्ड लैपटॉप, 12 डिस्प्ले लैपटॉप, 08 चार्जर लैपटॉप, 02 मोबाइल फोन (रियलमी कम्पनी व ओपो कम्पनी) बरामद हुए हैं।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सिराज पुत्र रईश अहमद निवासी खुशहाल नगर, अंजुम पैलेस के पास, थाना ब्रह्मपुरी, जिला मेरठ।
2. वजाहत पुत्र फारूख निवासी कीरतपुर, थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर।
3. साहब आलम पुत्र आमिर हसन निवासी कीरतपुर, थाना कीरतपुर, जिला बिजनौर।
4. राहिल पुत्र मौहम्मद इस्माइल निवासी 747, आजाद नगर, रूडकी, थाना गंगनहर, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 158/23 धारा 411/413/414/120बी भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 806/22 धारा 379/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।
3. मु0अ0सं0 642/22 धारा 380/411 भादवि थाना बीटा-2, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

चोरी के 23 लैपटॉप, 13 बाडी लैपटॉप, 11 कीबोर्ड, 12 लैपटॉप डिस्प्ले, 08 चार्जर व 02 मोबाइल फोन।

2. थाना सेक्टर-142 नोएडा पुलिस द्वारा अवैध हथियार के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 27.03.2023 को थाना सेक्टर-142 नोएडा पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान अवैध हथियार के साथ 03 अभियुक्त 1.सोमेश्वर उर्फ जयसिंह पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम काशीपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई वर्तमान पता नागर के मकान में किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा को थाना क्षेत्र के एफ0एन0जी0 रोड के पास से मय 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस, 2.विनीत पुत्र हरीबाबू निवासी ग्राम कोलासोता, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद वर्तमान पता किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा व 3.बहोरण पुत्र शक्तिपाल सिंह निवासी ग्राम कोलासोता, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद वर्तमान पता किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा को थाना क्षेत्र स्थित मोहियापुर अंडरपास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त विनीत के कब्जे से 01 अवैध तमंचा .32 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .32 बोर व अभियुक्त बहोरण के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद किया गया है। अभियुक्त सोमेश्वर उपरोक्त के विरुद्ध थाना सेक्टर-142 पर मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त विनीत के विरुद्ध मु0अ0सं0 46/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त बहोरण उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 47/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. सोमेश्वर उर्फ जयसिंह पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम काशीपुर थाना कोतवाली देहात, जनपद हरदोई वर्तमान पता नागर के मकान में किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा।
2. विनीत पुत्र हरीबाबू निवासी ग्राम कोलासोता, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद वर्तमान पता किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा।
3. बहोरण पुत्र शक्तिपाल सिंह निवासी ग्राम कोलासोता, थाना अमृतपुर, जनपद फर्रुखाबाद वर्तमान पता किराये पर, ग्राम इलाबांस, थाना फेस-2, नोएडा।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 45/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अभियुक्त सोमेश्वर के विरुद्ध) थाना सेक्टर-142, नोएडा।
2. मु0अ0सं0 46/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अभियुक्त विनीत के विरुद्ध) थाना सेक्टर-142, नोएडा।
3. मु0अ0सं0 47/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट (अभियुक्त बहोरण के विरुद्ध) थाना सेक्टर-142, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

02 अवैध तमंचे मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 अवैध चाकू।

3. थाना इकोटेक प्रथम द्वारा कम्पनी से कैंटर लूटने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से लूटा गया कैंटर मय माल 13 बण्डल कपडे के (कुल कीमत करीब 21 लाख रुपये) व 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

घटनाक्रम का विवरण-- दिनांक 27.03.2023 को थाना इकोटेक प्रथम पर डॉयल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि इकोटेक एक्सटेशन-1, विकास ट्रांसपोर्ट एण्ड केरियर कम्पनी से एक कैंटर नं0 डीएल 1 एलवाई 8211 को मय कपडे के रोल/बण्डल को अज्ञात लुटेरों कम्पनी लेबर को बन्धक बनाकर लूट कर ले गये हैं। उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये थाना इकोटेक प्रथम पुलिस द्वारा थाना इकोटेक3 पुलिस की मदद से मात्र 02 घण्टे में घटना का खुलासा करते हुए अपराधियों का पीछा व कोम्बिंग करते हुये 02 अभियुक्तों 1.दीपक पुत्र गोपी निवासी पहाडी, थाना भरतपुर, थाना भरतपुर, राजस्थान 2.नवीन पुत्र रामबाबू निवासी गोवर्धन थाना गोवर्धन, जिला मथुरा को थाना इकोटेक-3 क्षेत्र के सीआरपीएफ कैम्प के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से लूटा गया कैंटर नं0 डीएल 1 एलवाई 8211 कीमत करीब 11 लाख रुपये मय माल 13 बण्डल कपडे के कीमत करीब 10 लाख रुपये (कुल 21 लाख रुपये) व 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. दीपक पुत्र गोपी निवासी पहाडी, थाना भरतपुर, थाना भरतपुर, राजस्थान।
2. नवीन पुत्र रामबाबू निवासी गोवर्धन थाना गोवर्धन, जिला मथुरा।

पंजीकृत अभियोग/अपराधिक इतिहास का विवरण--

अभि0 दीपक

1. मु0अ0सं0 0023/2023 धारा 394/411 भादवि0 थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0 0024/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

अभि0 नवीन

1. मु0अ0सं0 0023/2023 धारा 394/411 भादवि0 थाना इकोटेक प्रथम, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 01 कैंटर सं0 डीएल 1 एलवाई 8211 कीमत करीब 11 लाख रुपये।
- 2- 13 बण्डल कपडे के कीमत करीब 10 लाख रुपये
- 3- 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर